POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 03.05.2026

1.थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विदेशी मादक पदार्थ ओ0जी0 वजन करीब 500 ग्राम (अतंरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7-8 लाख रूपये), 02 मोबाइल फोन, 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई व डिलीवरी में प्रयोग की जाने वाली 01 कार व पैकिंग हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पॉलिथीन व लिफाफे बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 03.05.2026 को थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से अवैध नशीले मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुये 02 अभियुक्त 1.शिवम कुंवर पुत्र रनवीर सिंह कुंवर 2.नितिन चौहान पुत्र ओमवीर सिंह चौहान को पुश्ता रोड़ सेक्टर-94 नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से ओ0जी0 वजन करीब 500 ग्राम (अतंरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7-8 लाख रूपये), 02 मोबाइल फोन, 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई व डिलीवरी में प्रयोग की जाने वाली 01 कार व पैकिंग हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पॉलिथीन व लिफाफे बरामद हुए है।

घटनाक्रम के विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा संचालित यह गिरोह नोएडा क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थ ओ0जी0 (उच्च गुणवत्ता वाला विदेशी गांजा) की खरीद-फरोख्त एवं सप्लाई का कार्य अत्यंत संगठित एवं सुनियोजित तरीके से करता था। अभियुक्तगण इलेक्ट्रॉनिक तराजू की सहायता से ओ0जी0 को छोटे-छोटे वजन में तौलकर पारदर्शी पाउच एवं लिफाफों में पैक करते थे, जिससे आसानी से छिपाया व परिवहन किया जा सके। इसके पश्चात ये पैक किये गये नशीले पदार्थों को मुख्य रूप से पीजी/हॉस्टल तथा आसपास के शैक्षणिक संस्थानों में रहने वाले छात्रों/युवाओं को लक्षित कर सप्लाई करते थे, जिससे इन्हें लगातार मांग एवं मोटा आर्थिक लाभ प्राप्त होता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवम कुंवर पुत्र रनवीर सिंह कुंवर निवासी सेक्टर-1, थाना कौशांबी, जिला गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।
2. नितिन चौहान पुत्र ओमवीर सिंह चौहान निवासी दुर्गा विहार कॉलोनी, सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अं0सं0 0062/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सेक्टर-126, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. ओ0जी0 वजन करीब 500 ग्राम (अतंरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7-8 लाख रूपये)
2. सप्लाई में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन
3. 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटा
4. नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई व डिलीवरी में प्रयोग की जाने वाली 01 कार होन्डा सिटी रजिस्ट्रेशन नं0-DL13CC3727
5. पैकिंग हेतु प्रयुक्त की जाने वाली 20 पॉलिथीन व 16 लिफाफे

2.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 03-05-2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए डिजिटल अरेस्ट के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 02 अभियुक्तों 1.भावेश गुप्ता पुत्र शम्मी गुप्ता 2.हर्षित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार को जनपद लुधियाना पंजाब से **गिरफ्तार** किया गया हैं।

अभियुक्तगण द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराया जाता था, इनके द्वारा वादी मुकदमा को डराने-धमकाने तथा जांच के नाम पर भय दिखाकर 7 लाख रुपयें की धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों को अपना बैंक खाता उपलब्ध कराकर उसमें धनराशि प्राप्त की गयी थी। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 43/2026 धारा 308(2),318(4),319(2), 61(2) BNS व 66/66D IT ACT पंजीकृत है। इस प्रकरण में अभियुक्तों द्वारा 4.5 लाख रुपये कमीशन के प्राप्त किये गये, अभियुक्तो के अलग-अलग बैंक खाते के विरुद्ध कुल 03 शिकायतें (तेलंगाना-02, आंध्र प्रदेश-01) दर्ज है, जिनमें धोखाधडी से सम्बन्धित धनराशि प्राप्त की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. भावेश गुप्ता पुत्र शम्मी गुप्ता निवासी थाना डिविजन-5, लुधियाना पंजाब उम्र 21 वर्ष।
2. हर्षित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी टिब्बा रोड़, थाना डिविजन-7, लुधियाना, पंजाब उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 मोबाइल फोन

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 43/2026 धारा 308(2),318(4),319(2), 61(2) BNS व 66/66D IT ACT थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

साइबर जागरूकता संदेश--

1. साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन- 1930 या वेबसाइट: National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करायें।
2. डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी पुलिस, CBI, ED आपको कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकती हैं।
3. डिजिटल अरेस्ट- यदि आपके पास कोई व्यक्ति स्वयं को सीबीआई अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ED का अधिकारी नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी, इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर कॉल कर डराता है व डिजीटल अरेस्ट करने की बात कहता है तो बिना डरे तुरन्त इसकी शिकायत अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन य साइबर पुलिस स्टेशन में करें
4. अश्लील वीडियों भेजने, अवैध मादक पदार्थ के विक्रय में हवाला जैसे कारोबार/money laundering/smuggling/fake import-export में संलिप्त पाए जाने की बात कह कर डराता है तब आपको डरना या भयभीत नहीं होना है इसकी तुरंत शिकायत अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन य साइबर पुलिस स्टेशन में करनी चाहियें। साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाईन नम्बर-1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
5. कभी भी व्हाट्सएप/कॉल पर आए फर्जी इन्वेस्टमेंट आफ़र पर विश्वास न करें।
6. किसी भी अनजान लिंक को ओपन न करें।
7. किसी अनजान को अपना आधार की आई0डी0, पेन कार्ड या बैंक खाता न दें।